न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 सूरज सिंह नेगी

मुकदमा संख्या 128/2017 तारीख रजू 13–03–2013 किस्म मुकदमा अपील नामान्तकरण

उनवान

श्रीमति मीरादेवी पत्नि रामसिंह जाति नायक निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

–अपीलान्ट

बनाम

प्रेम पुत्र भोरीलाल जाति हरिजन निवासी ग्राम कुण्डेरा हाल सूर्यनगर कोटा (राज0)– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट निर्णय तहसीलदार सवाई माधोपुर दिनांक 6–02–2013 नामान्तकरण संख्या 787 राजस्व ग्राम कुण्डेरा

उपस्थित

1–श्री त्रिलोकराय गोयल एड0 अपीलान्ट की ओर से

2–श्री मुकेश बंसल एड0–रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय दिनांक–25–11–2021

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 787 दिनांक 6–02–2013 को पटवारी हल्का कुण्डेरा द्वारा दिनांक 5–09–2012 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30–07–2012 के आधार पर भरा गया था दिनांक 7–09–2012 को भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दौराने जॉच व तुलना करने पर यह टिप्पणी की गई की खातेदार द्वारा विक्रय पत्र तस्दीक नही करवाया गया , प्रभूलाल माली द्वारा जरिये मुख्त्यारआम द्वारा विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया है ।एवं थाना कोतवाली सवाईमाधोपुर में एफ0आई0आर0 संख्या 381/2012 दर्ज होना तहरीर किया गया है ।उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में दिनांक 6–2–2013 को तहसीलदार सवाई माधोपुर ने प्रथम दृष्टया विक्रय पत्र दूषित होने के कारण विवादित नामान्तकरण संख्या 787 को निरस्त किया [illegible] आदेश से रूष्ट होकर अपीलान्ट ने न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अपील दिनांक 18–03–2013 को दर्ज रजिस्टर की गई [illegible] अधिनस्थ न्यायालय [illegible] रिकार्ड को तलब करने व रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नोटिस जारी के आदेश पारित किये गये । तत्पश्चात् न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश की पालना में पत्रावली इस न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:31:52 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विधिवत् सुनवाई हेतु मुन्तकिल 7–06–2017 को की गई । दिनांक 6–7–2017 को अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट की एवं तलबी रिकार्ड हेतु आदेशित किया गया । दिनांक 24–08–2018 को श्री मुकेश बंसल एडवोकेट ने रेस्पोडेन्ट की ओर से मीमो पेश किया एवं दिनांक 8–09–2018 को वकालतनामा पेश किया । तत्पश्चात् दिनांक 12–12–2019 को रेस्पोडेन्ट वकील की ओर से जवाब मय लिखित बहस के साथ 4 किता दस्तावेज पेश किये। शामिल किये गये । तत्पश्चात् 9–11–2021 को उभय पक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो की गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलिल व बहस पर मनन किया गया । रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब व लिखित बहस का अवलोकन किया गया । रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना संख्या 381/2012 थाना कोतवाली सवाई माधोपुर ने मुख्त्यारआम प्रभूलाल माली पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी रावल तहसील सवाई माधोपुर थाना कोतवाली सवाई माधोपुर के विरूद्ध अपराध साबित होने पर गिरफ्तार करके न्यायालय में चालान पेश किया । इससे स्पष्ट है कि प्रभूलाल ने फर्जी दस्तावेज मुख्त्यार आम के आधार पर बिना प्रतिफल के मात्र रेस्पोडेन्ट के नाम से दर्ज भूमि को हडपने के उद्धेश्य से विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 30–7–2012 को करवाया गया था । मुख्त्यारनामा आम के आधार पर पंजीयन विक्रय पत्र कुटरचित दस्तावेज के आधार पर होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त नामान्तकरण को निरस्त किये जाने में कोई त्रुटि नही की है । साथ ही पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट का इन्द्राज होना नही पाया गया है । अपीलान्ट द्वारा जमाबंदी में अंकित खातेदारो को भी जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया है । पत्रावली में अपीलान्ट मीरा के बयानो का अवलोकन किया अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को नही जानना दर्शाया है ,एवं जमीन खरीदने की हैसियत नही होना भी बयानो में दर्ज है ।पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो पर गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन करने पर यह स्पष्ट है कि [illegible] होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । क्योकि अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण सं. 787 पर अंकित भूअभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी व तहसीलदार सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 6–02–2013 के खण्डन में कोई भी दस्तावेज पेश नही किये जाने के कारण अपील खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:31:52 IST
Reason: SelfAttested

k

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अतः आज दिनांक 25–11–2021 को अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है । निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखित दफतर हो ।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:31:52 IST
Reason: SelfAttested